विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 2 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1–7/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक–3) जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई–राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2012 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. **धारा 6 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (4) में, ''पाँच सौ रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा'', शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''चार हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. **धारा 19 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्, :––

''(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक, अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक, उप–मुख्य निरीक्षक या सहायक मुख्य निरीक्षक दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन, नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त,उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।''।

4. **धारा 20 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 20 में,––

(क) उपधारा (6) में ''पचास रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (7) में ''पाँच सौ रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''चार हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

5. **धारा 21 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में, ''पाँच सौ रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''चार हजार से कम नहीं होगा, किन्तु जो सात हजार रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

6. **धारा 25 का प्रतिस्थापन.**–मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

''25 **शास्तियाँ.**––इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो कोई भी इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है और इस अधिनियम में ऐसे उल्लंघन के लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए तीन हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो आठ हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।''।

7. **धारा 25–क का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 25–क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

''(1) धारा 20 की उपधारा (7) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी भी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, जो दुकान और वाणिज्यिक स्थापन के सहायक मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी रकम के लिए, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, परन्तु पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, शमन किया जा सकेगा।''।

8. **धारा 33 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 33 में ''मुख्य निरीक्षक द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''किसी अधिकारी द्वारा, जो सहायक मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो,'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 स्थापन के रजिट्रीकरण, दुकान और वाणिज्यिक स्थापन में कर्मकारों और नियोजन की शर्तों के विनियमन, जैसे कि नियोजन के घण्टे, भोजन या आराम के लिए अन्तराल, आने तथा जाने का समय, बन्द दिन, अवकाश, प्रसूति प्रसुविधा के लिए और अधिनियम आदि के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्तियों का उपबन्ध करता है। ऐसा अनुभव रहा है कि अधिनियम में ऐसे उल्लंघन के लिए उपबन्धित शास्ति नाममात्र की होने के कारण स्थापन के नियोजक द्वारा अधिनियम के उपबन्धों का घोर उल्लंघन किया जाता है और इसका कोई भी भयोपरापी प्रभाव नहीं है। इसलिए वर्तमान परिवेश में अधिनियम के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के आशय से यह आवश्यक समझा गया है कि शास्ति में बढ़ौतरी करके अधिनियम के शास्तिक उपबन्धों को और अधिक भयोपरापी बनाया जाए। इसके अतिरिक्त धारा 25–क के अधीन किसी भी अपराध का, अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, दुकान और वाणिज्यिक स्थापन के मुख्य निरीक्षक, जो राज्य मुख्यालय में तैनात हो, द्वारा शमन किए जाने का उपबन्ध है। इसलिए यह उपयुक्त समझा गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध का शमन करने की शक्तियों को, अधिसूचना द्वारा, धारा 19 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को प्रदत्त किया जाए, जो दुकान और वाणिज्यिक स्थापन के सहायक मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों। इससे न्यायालयों में मुकद्दमेबाजी भी कम होगी और अपराधी को जिला मुख्यालयों पर अपराध का शमन करवाने में अधिक सुविधा रहेगी। उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(किशन कपूर)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2012

———————

AUTHORITATIOVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 2012

THE HIMAHCLA PRDESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2012

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act, 1969 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), for the words "five hundred rupees but which may extend to two thousand rupees", the words "four thousand rupees but which may extend to six thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) The Government may, by notification, appoint any person to be the Chief Inspector, Additional Chief Inspector, Deputy Chief Inspector, or Assistant Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments, who shall, in addition to the powers conferred on them under this Act, exercise the powers of Inspector within their respective jurisdiction.".

4. Amendment of section 20.—In section 20 of the principal Act,—

(a) in sub–section (6), for the words "fifty rupees", the words "two hundred rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (7), for the words "five hundred rupees but which may extend to two thousand rupees", the words "four thousand rupees but which may extend to six thousand rupees shall be substituted.

5. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and may extend to two thousand rupees", the words" four thousand rupees and may extend to seven thousand rupees" shall be substituted.

6. Substitution of section 25.—For section 25 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"**25.** Penalties.—Subject to the other provisions of this Act, whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and no penalty has been provided for such contravention in this Act, shall be liable, on conviction, to a fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to five thousand rupees for the first offence, and not less than three thousand rupees but which may extend to eight thousand rupees for every subsequent offence.".

7. Amendment of section 25-A.—In section 25 A of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Save as provided in sub- section (7) of section 20, any offence may, either before or after the institution of prosecution, be compounded by any officer not below the rank of Assistant Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments, authorised by the Government, by notification, for an amount which shall not be less than one thousand rupees but shall not exceed five thousand rupees.".

8. Amendment of section 33.—In section 33 of the principal Act, for the words "by the Chief Inspector", the words "by an officer not below the rank of Assistant Chief Inspector" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishment Act, 1969 provides for registration of commercial establishment, regulation of conditions of workers and employment in shops and commercial establishment, such as hours of employment, intervals for meals or rest, opening and closing hours, closed day, holiday, maternity benefits and penalties for contravention of the provisions of the Act etc. It has been experienced that there is gross violation of provisions of the Act by the employer of the establishment for the reason that the penalty provided for such violation in the Act is very nominal and has no deterrent effect. Thus, in order to ensure the strict compliance of the provisions of the Act in the present scenario, it has been considered essential to make the penal provisions more deterrent by enhancing the penalty. Further, under section 25 A, an offence is compoundable before or after the institution of the prosecution by the Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments, who sits at the State Headquarters. Thus, it is considered more appropriate, if the powers to compound an offence under the Act *ibid* is conferred on the officers not below the rank of Assistant Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments, appointed under section 19. This will also reduce the litigation in the courts and will be more convenient to the offender to get the offence compounded at the District Headquarters. In view of the above, it has been decided to amend the Act *ibid* suitably.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(KISHAN KAPOOR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The ....., 2012.